कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई

जिला – बीजापुर (छ.ग.)

फोन न. 7853296423 ई–मेल nrhm2bijapur@gmail.com, dtcbijapur1@gmail.com

क्रमांक./ NHM /प्रेस विज्ञप्ति/2025/2154 बीजापुर, दिनांक 15/01/2025

प्रति,

जिला सूचना अधिकारी (NIC)
जिला बीजापुर (छ.ग.)

विषयः– राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत जारी विज्ञापन को जिले की वेबसाईट में अपलोड करने के संबध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत रिक्त विभिन्न संविदा पदों की भर्ती किये जाने हेतु विज्ञापन जारी किया गया है।

उक्त विज्ञापन को जिले की वेबसाईट www.bijapur.gov.in में अपलोड करने का कष्ट करेगें।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला बीजापुर (छ.ग.)

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई

जिला – बीजापुर (छ.ग.)

फान न. 7853296423 ई–मेल nrhm2bijapur@gmail.com, dtcbijapur1@gmail.com

क्रमांक./ NHM /संविदा भर्ती/2025/ बीजापुर, दिनांक / /2025

–//विज्ञापन//–

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिला बीजापुर अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त संविदा पदों हेतु इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन, समस्त दस्तावेजों सहित कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बीजापुर (छ.ग.) में आमंत्रित किया जा रहा है। आवेदन निर्धारित प्रारूप में दिनांक 30.01.2025 संध्या 5.00 बजे तक केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर डाक के माध्यम से ही स्वीकार किया जावेगा। स्वयं उपस्थित होकर, साधारण डाक या अन्य किसी भी माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जावेगा। रिक्त पदों का वर्गवार विवरण निम्नानुसार है:–

No.	Post Name	Salary (in Rs.)	No. of Vacant post	Educational Qualification
1	Physiotherapist	18000/-	Total post -04 ST-04(1-Female)	Bachelor's Degree in Physiotherapy (B.P.T.)
2	Opthalmic Assistant	12000/-	Total post -01 ST-01	12th Passed, Two year Diploma course in Optometry or trained as a Ophthalmic Assistant in any of the recognized Government Hospitals as per guidelines of NPCB. Desirable:- Familiariy with computer and internet use.
3	Medical Officers (RBSK) (Male)	25000/-	Total post -03 ST-03	BHMS/BAMS/BUMS Degree Registration from any GOI Reconised (BAMS/BHMS/BUMS) Ayush, Homeo, Unani Registration Board of CG
4	Medical Officers (RBSK) (Female)	25000/-	Total post -03 ST-03	BHMS/BAMS/BUMS Degree Registration from any GOI Reconised (BAMS/BHMS/BUMS) Ayush, Homeo, Unani Registration Board of CG
5	Technical Assistant – Audiometric	15000/-	Total post -01 UR-01	Diploma in Hearing Language and speech (DHLS) from RCI Recognized institute
6	Technical Assistant - hearing Impaired Children	15000/-	Total post -01 UR-01	Diploma in Training young deaf and hearing handicapped (DTYDHH) from RCI Recognized institute
7	Programme Associate – NTEP	22300/-	Total post -01 UR-01	(1)MBA/PG Diploma in Management/Health administration from recognized institute university (2) At least 1 year of work experience.
8	Jr. Secretarial Assistant - PADA	12000/-	Total post -01 ST-01	12th Pass with at least 1 year Diploma in Computer Applications
9	Block Manager - Account	21000/-	Total post -01 OBC-01	B.Com (Minimum 55%) + 1 Year computer diploma(PDGCA) Knowlegded Tally
10	Senior Treatment Supervisor (STS)	17500/-	Total post -01 ST-01	(1) Bachelor"s degree OR Recognized sanitary inspector"s course (2) Certificate course in computer operation (minimum 2 month) (3) Permanent two wheeler driving license & should be able to drive two wheeler

नोटः– उपरोक्त पदों पर नियुक्ति हेतु नियम एवं शर्तें, आवेदन का प्रारूप एवं आवेदन दिनांक का विस्तृत विवरण कार्यालय के सूचना पटल पर एवं जिले के वेबसाईट www.bijapur.gov.inमें देखी जा सकती है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला बीजापुर (छ.ग.)

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई

जिला – बीजापुर (छ.ग.)

फोन न. 7853296423 ई–मेल nrhm2bijapur@gmail.com, dtcbijapur1@gmail.com

विज्ञापन नियम एवं शर्ते :–

1 विज्ञापन का प्रारूप एवं विज्ञापन से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीजापुर के सूचना पटल एवं जिले की वेबसाईट www.bijapur.gov.in में उपलब्ध है।

2 सभी पद पूर्णतः संविदा आधारित है, जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. द्वारा जारी छत्तीसगढ़ मानव संसाधन नीति 2018 के नियमों के अधीन होगा।

3 निर्धारित समय सीमा में प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों में से रिक्तियों के आधार पर निम्न तालिका में दिये अनुसार अभ्यार्थियों को दस्तावेज सत्यापन/कौशल परीक्षा हेतु आहुत किया जावेगा:–

क्र	कुल विज्ञापित पदों की संख्या	स्कीनिंग /साक्षात्कार लिये जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या
1	1 से 10 होने पर	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 10 गुणा
2	11 से 50 होने पर	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 5 गुणा
3	50 से अधिक होने पर	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 3 गुणा

4 आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा एवं दस्तावेज सत्यापन के समय मूल दस्तावेज के साथ अभ्यर्थियों को उपस्थित होना अनिवार्य होगा:–

1 8वी/10वी की अंकसूची
2 12वी की अंकसूची
3 स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा के समस्त वर्षो की अंकसूची
4 कम्प्यूटर संबंधी अंकसूची/डिप्लोमा
5 संबंधित कौंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र (जिन पदों हेतु लागू हो)
6 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र।
7 मूल निवास प्रमाण पत्र।
8 अनुभव प्रमाण पत्र। अनुभव की अवधि का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने, सक्षम अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं होने पर अनुभव प्रमाण पत्र अमान्य किया जावेगा।
9 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र।
10 आधार कार्ड/पेन कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस/वोटर आई.डी.
11 अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
12 अन्य अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता

5 दस्तावेज सत्यापन के समय मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी को अपात्र माना जावेगा।

6 दावा आपत्ति केवल निर्धारित तिथि व समय में किया जावेगा। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त दावा आपत्ति को अस्वीकार करते हुए विचार नहीं किया जावेगा।

7 स्पीड पोस्ट, रजिस्टर डाक एवं साधारण डाक या निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

8 उपरोक्त पदों हेतु संलग्न किये गये दस्तावेज मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल/संस्था/विश्वविद्यालय से निर्धारित शैक्षणिक योग्यता (समस्त सेमेस्टर/समस्त वर्षो की अंक सूची) एवं कम्प्युटर से संबंधित डिग्री/डिप्लोमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से होना अनिवार्य है।

9 अनुभव प्रमाण पत्र (आवेदित पद से संबंधित हो) केवल शासकीय, अर्धशासकीय एवं शासकीय वित्त पोषित संस्थाओं के ही मान्य होगें। पद से संबंधित अनुभव होने पर ही अभ्यर्थी को नियमानुसार अनुभव अंक प्रदान किये जायेगें।

10 अभ्यर्थी को आवेदन–पत्र के साथ नियोक्ता द्वारा जारी नियुक्ति आदेश की छायापति एवं अनुभव प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा, वर्तमान में कार्यरत होने की स्थिति में नियोग्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा प्रमाण–पत्र में जारीकर्ता कार्यालय का जावक कमांक व तिथि का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।

11 वैश्विक महामारी कोविड–19 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में एस.डी.आर.एफ., डी.एम.एफ. सी.एस.आर. अंतर्गत एक वर्ष में 06 माह तक कार्यानुभव रखने वाले कर्मचारियों को अनुभव का 10 बोनस अंक प्रदान किया जावेगा। अनुभव केवल संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत करने पर ही दिया जावेगा।

फान न. 7853296423 ई–मेल nrhm2bijapur@gmail.com, dtcbijapur1@gmail.com

12 संबंधित पद के कार्य अनुभव हेतु (अन्य अभ्यर्थियों को) प्रति वर्ष 02 अंक के मान से अधिकतम 5 वर्ष हेतु (कुल 10 अंक) तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी हेतु प्रतिवर्ष 03 अंक के मान से अधिकतम 05 वर्ष हेतु (कुल 15 अंक) दिया जायेगा।

(अ) अनुभव 15 अंक – राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत अभ्यर्थियों को 03 अंक प्रतिवर्ष के आधार पर अधिकतम 15 अंक देय होगा।

(ब) अनुभव 10 अंक– अन्य शासकीय संस्था में कार्यरत अभ्यर्थियों को 02 अंक प्रतिवर्ष के आधार पर अधिकतम 10 अंक देय होगा।

(स) अवर सचिव छ.ग. शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का आदेश पत्र कमांक एफ 1–67/2021/सत्रह/एक नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 07 दिसम्बर 2021 के तहत कोरोना वैश्विक महामारी के दारौन छ.ग. राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एक वर्ष में 06 माह तक सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को संबंधित पदों पर चयन हेतु 10 बोनस अंकों का लाभ दिया जावेगा। उक्त संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।

13 मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का विज्ञापन कमांक/एनएच.एम/एच.आर./2022/एन. एस–29/107 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11.04.2022 के सदर्भ अनुसार अभ्यर्थी द्वारा यदि अ,ब,स तीनों में से दो अथवा तीन अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो उस दोनो अथवा तीनों में केवल एक का ही लाभ दिया जावेगा।

14 कोविड–19 में कार्य किये जाने का बोनस अंक का लाभ केवल उन्ही अभ्यर्थियों को दिया जावेगा जिनके द्वारा कोविड–19 में कार्य करने की नियुक्ति आदेश की प्रति एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया हो।

15 पद से संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र केवल शासकीय, अर्द्धशासकीय एंव वित्त पोषित संस्थाओं के अनुभव मान्य होगें। किसी पद से संबंधित प्रशिक्षण एवं निःशुल्क सेवा कार्य के अनुभव प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अनुभव प्रमाण–पत्र को मान्य नहीं किया जावेगा।

16 कौशल परीक्षा 20 अंक– पद के अनुरूप लिखित/कम्प्युटर बेस/साक्षात्कार आदि के रूप में कौशल परीक्षा ली जावेगी।

17 किसी भी समय या किसी भी प्रकार से दस्तावेजों के कुटरचित/मिथ्या/असत्य पाये जाने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त की जावेगी।

18 अंतिम चयन सूची निम्नांकित आधार पर बनाई जावेगी:–

1 अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांको का प्रतिशत का – 65 प्रतिशत।

2 अनुभव –10 अंक/15 अंक संबंधित पदों के ही मान्य किये जायेगें। (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ अंतर्गत कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रत्येक वर्ष हेतु 03 अंक, अधिकतम 15 अंक तथा अन्य अभ्यर्थियों को प्रत्येक वर्ष 02 अंक, अधिकतम 10 अंक) – न्यूनतम एक वर्ष होने उपरांत ही अनुभव मान्य होगा।

3 शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर कौशल परीक्षा हेतु मेरिट सूचि तैयार की जावेगी।

4 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु निर्धारित कुल अंकों का 30 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। 30 प्रतिशत अंक अर्जित नहीं करने की दशा में अभ्यर्थी को अपात्र माना जावेगा।

5 अंतिम मेरिट सूची शैक्षणिक योग्यता+अनुभव+कौशल परीक्षा के आधार पर तैयार की जावेगी।

19 एक से अधिक पदों में भर्ती के इच्छुक उम्मीदवारों को प्रत्येक पद के लिये अलग–अलग आवेदन पंजीयन कराना होगा।

20 आवेदन शुल्क का विवरण निम्न प्रकार है:–

वर्ग	मानदेय प्रतिमाह 25000 एवं 25000 से कम आय के पदो के लिये	मानदेय प्रतिमाह 25000 से अधिक आय के पदो के लिये
दिव्यांग/अजा/अजजा	100 रू.	200 रू.
अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला	200 रू	300 रू.
अनारक्षित वर्ग	300 रू.	400 रू.

21 प्रत्येक पद के आवेदन पत्र के साथ निर्धारित आवेदन शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा (जिला स्वास्थ्य समिति बीजापुर) Payble Branch Bijapur C.G. (SBI के लिए 02835 बैंक शाखा)के नाम से जारी डिमांड ड्राफ्ट बनाकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। बिना आवेदन शुल्क/डिमांड ड्राफ्ट के आवेदन स्वीकार नही किये जायेगें।

22 आवेदकों को छ.ग. का मूल निवासी होना अनिवार्य है। निवास प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी स्तर से जारी प्रमाण पत्र मूलतः लाना होगा।

23 नर्सिंग ऑफिसर के संविदा पदो के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 70 वर्ष चिकित्सकीय पद हेतु तथा 64 वर्ष प्रबंधकीय पद हेतु होगी। आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2025 से की जावेगी।

24 जाति के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन का एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

25 अभ्यर्थी आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर स्वयं का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो स्वयं के द्वारा सत्यापित कर चिपकाएं।

26 उपरोक्त पदों पर आवेदन के साथ वांछित योग्यता प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से शैक्षणिक योग्यता अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र, जाति, निवास प्रमाण पत्र व पंजीयन प्रमाण पत्र स्वंय द्वारा सत्यापित छायाप्रतियाँ अनिवार्यतः संलग्न करे एवं संलग्न नही पाये जाने की स्थिति में आवेदन निरस्त किया जा सकेगा।

27 आवेदक द्वारा आवेदन में संलग्न किये सभी स्व–प्रमाणित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां भी दस्तावेज सत्यापन के समय अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा आवेदन अमान्य किया जा सकता है।

28 अभ्यर्थी को चयन प्रकिया में उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।

29 चयन प्रकिया, परिणाम कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीजापुर के सूचना पटल पर एवं जिले की वेबसाईट www.bijapur.gov.in में संलग्न किया जावेगा।

30 सभी नियुक्तियाँ संविदा आधार पर 31.03.2025 तक एवं पूर्णतः अस्थाई एवं अस्थानांतरणीय है। कार्य मूल्यांकन संतोषजनक होने की स्थिति में उपरोक्त अवधि में वृद्धि की जा सकती है।

31 शासकीय/अर्धशासकीय में कार्यरत अभ्यर्थियों को नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

32 प्रशासकीय कारणों से विज्ञापन को निरस्त भी किया जा सकता है एवं योग्य उम्मीदवार नहीं होने की दशा में अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा भर्ती निरस्त कर पुनः पद विज्ञापित कराया जा सकता है।

33 उक्त पदों पर चयन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जावेगा।

34 अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रो के संबंध में उम्मीदवारों को कोई सूचना नही दी जावेगी। प्रत्येक आवेदकों को चाहिए कि विज्ञापन में दिए गए निर्देशो तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर एवं सावधानीपूर्वक सही व पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई भी जानकारी अपूर्ण, अस्पष्ट या त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो अपूर्णताः के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पर चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।

35 भर्ती प्रकिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या का निराकरण करने एवं अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, बीजापुर का होगा।

36 आरक्षण जिले में प्रचलित रोस्टर पद्धति के अनुसार आरक्षण का प्रावधान लागू किया जावेगा।

37 अंतिम चयन सूची व प्रतीक्षा सूची की वैधता प्रकाशन तिथि से आगामी 1 वर्ष तक के लिए वैध रहेगी, इस दौरान पद रिक्तता की स्थिति में उक्त प्रतीक्षा सूची से पदपूर्ति की जा सकेगी।

38 नियुक्ति के पश्चात् भी लिपिकीय त्रुटि पाए जाने पर चयन समिति द्वारा नियुक्ति आदेश को निरस्त किये जाने का अधिकार है।

39 योग्य उम्मीदवार नहीं होने की दशा में चयन समिति द्वारा भर्ती निरस्त कर पुनः पद विज्ञापित कराया जा सकता है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला बीजापुर (छ.ग.)